झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0 .... दिनांक ....

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा–6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् संबंधी संलग्न अनुसूची–1 में उल्लिखित झारखण्ड राज्य के जिलों/क्षेत्रों का वर्गीकरण के प्रायोज्य सभी नियोजनों में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों में, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मँहगाई भत्ता घोषित करते हैं, जो नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ–2 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा–2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित तालिका के स्तम्भ–3 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्र0 सं0	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
1	2	3
1.	जुलाई, 2025	146.5
2.	अगस्त, 2025	147.1
3.	सितम्बर, 2025	147.3
4.	अक्टूबर, 2025	147.7
5.	नवम्बर, 2025	148.2
6.	दिसम्बर, 2025	148.2
7.	कुल	885
8.	6 माह का औसत	885÷ 6 = 147.5
9.	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	147.5 × 2.88 = 424.8 या **425**
10.	जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अवधि के आधार पर पुनरीक्षित/निर्धारित औसत सूचकांक	386 बिन्दु
	सूचकांक में वृद्धि	425 – 386 = 39 बिन्दु
11.	प्रतिशत वृद्वि = 39 x 100 / 386	**10.10 % या 10 %**

2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर सभी नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2023 से जून, 2023 की

अवधि के औसत सूचकांक के आधार पर व झारखण्ड न्यूनतम् मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के बैठक के आधार पर पुनरीक्षित न्यूनतम् मजदूरी की मूल दरें दिनांक–11.03.2024 से प्रभावी है।

3. सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ–3 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी।

4. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई, 2025 से दिसम्बर, 2025 (वर्ष–2025 का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, जो **दिनांक–01.04.2026 की तिथि से देय होगा।**

5. पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें, जिस पर परिवर्तनशील मँहगाई भत्ता प्रभावी है, सभी प्रतिष्ठानों में लागू है।

संख्या–2/एम0डब्लू0–2071/2010 (भाग–3) श्र0नि0, 742 ...., राँची, दिनांक 25/05/26

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

25/05/2026

अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

अधिसूचना

एस0ओ0........................दिनांक .... का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड–3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

25/05/2026

अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

NOTIFICATION

S.O................./dated ..../In exercise of the powers conferred by section-6 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), The Governor of Jharkhand is pleased to declare Variable Dearness Allowance (V.D.A.) on the basis of average consumer price index in the minimum rates of wages fixed/revised for the different categories of employees employed in all employments applicable to classification of districts/areas of Jharkhand state mentioned in the attached Schedule-1, for the months shown in column-2 of the schedule mentioned below, shall be as shown in column-3 of the said schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

S.N.	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2016 =100)
1	2	3
1	July, 2025	146.5
2	August, 2025	147.1
3	September, 2025	147.3
4	October, 2025	147.7
5	November, 2025	148.2
6	December, 2025	148.2
7	**Total**	**885**
8	Average	885÷ 6 = 147.5
9	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	147.5 X 2.88 = 424.8 OR, 425
10	Revised/determined average index based on the period January, 2023 to June, 2023	386 Point
	Increase in CPI	425 - 386 = 39 Point
11	**Percentage Increase** = $\frac{39 \times 100}{386}$	**10.10 % or 10 % increase**

2. The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in all employments. It is noteworthy that on the basis of the average index for the period from January, 2023 to June, 2023 and on the basis of the meeting of Jharkhand Minimum Wage Advisory Board, the above revised basic rates of minimum wage are effective from 11.03.2024.

3. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-3 of schedule with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages had been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

4. The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July, 2025 to December, 2025 which is 2nd half of 2025, will be payable **from 01.04.2026.**

5. The revised minimum basic rates of wages, on which the Variable Dearness Allowance (VDA) is effective, are applicable in all establishments.

No-02/MW-2071/2010(Part-3) L&T- 743 **Ranchi, Dated** 25/05/26

By Order of the Governor of Jharkhand,

25/05/2026

Under Secretary,
Labour Commissioner Office, Jharkhand.

अनुसूची – 1

दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्षदातृ पर्षद के बैठक में हुए सहमति के आलोक में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षण हेतु झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नवत है :–

झारखण्ड राज्य के जिलों/क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्र0स0	श्रेणी	आच्छादित क्षेत्र
1	*2*	*3*
1	A	राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।
2	B	"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र (नगरनिगम, नगर परिषद् व नगर पंचायत)
3	C	राज्य के अन्य क्षेत्र

"A" श्रेणी के क्षेत्र *(राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र)* **हेतु दिनांक–01.04.2026 से निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:–**

दैनिक दरें

क्र0सं0	कोटि	दिनांक– 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक– 01.04.2026 से देय)	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	अकुशल	468	47	**515**
2	अर्द्धकुशल	491	49	**540**
3	कुशल	647	65	**712**
4	अतिकुशल	746	75	**821**

मासिक दरें

क्र0सं0	कोटि	दिनांक– 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक– 01.04.2026 से देय)	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	अकुशल	12,168	1217	**13385**
2	अर्द्धकुशल	12,766	1277	**14043**
3	कुशल	16,822	1682	**18504**
4	अतिकुशल	19,396	1940	**21336**

"B" श्रेणी के क्षेत्र (*"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र)* हेतु दिनांक–01.04.2026 से निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:–

दैनिक दरें

क्र0सं0	कोटि	दिनांक– 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक–01.04.2026 से देय)	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	अकुशल	446	45	**491**
2	अर्द्धकुशल	468	47	**515**
3	कुशल	617	62	**679**
4	अतिकुशल	712	71	**783**

मासिक दरें

क्र0सं0	कोटि	दिनांक– 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक–01.04.2026 से देय)	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	अकुशल	11,596	1160	**12756**
2	अर्द्धकुशल	12,168	1217	**13385**
3	कुशल	16,042	1604	**17646**
4	अतिकुशल	18,512	1851	**20363**

"C" श्रेणी के क्षेत्र (राज्य के नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र) हेतु दिनांक–01.04.2026 से निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:–

दैनिक दरें

क्र0सं0	कोटि	दिनांक– 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक–01.04.2026 से देय)	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	अकुशल	425	43	**468**
2	अर्द्धकुशल	446	45	**491**

3	कुशल	588	59	**647**
4	अतिकुशल	678	68	**746**

मासिक दरें

क्र0सं0	कोटि	दिनांक– 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक– 01.04.2026 से देय)	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	अकुशल	11,050	1105	**12155**
2	अर्द्धकुशल	11,596	1160	**12756**
3	कुशल	15,288	1529	**16817**
4	अतिकुशल	17,628	1763	**19391**

2. **यह अधिसूचना दिनांक–01.04.2026 से प्रभावी होगी।**

टिप्पणी :–

(क) न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386, जो जून, 2023 के सूचकांक व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की बैठक में हुए सहमति/विमर्श पर आधारित है।

(ख) जुलाई, 2025 से दिसम्बर, 2025 तक का औसत सूचकांक 425, जिस पर महँगाई भत्ता देय है।

(ग) झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की सहमति के आलोक में परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता पूर्णांक (round off) में परिवर्तित कर दिया गया है।

(घ) न्यूनतम मजदूरी की दरें मजदूरी संहिता, 2019 की धारा–6 की उप धारा–(1) के अन्तर्गत होंगी।

(ङ) मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रुपांतरण क्रमशः 26 से भाग दे कर और 26 से गुणा कर के किया जाएगा।

(च) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त निर्धारित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(छ) साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाले कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरि काम का भुगतान पाने का हकदार होगा।

(ज) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(झ) यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 का 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है और यह उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण में आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेगी।

संख्या–2 / एम0डब्लू0–2071 / 2010 (भाग–3) श्र0नि0, 742, राँची, दिनांक 25/05/21

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

25/05/2021

अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

Annexure- 1

In the light of the consensus reaches in the meeting of Jharkhand Minimum Wages Advisory Board on October 11, 2023, the classification of areas of Jharkhand state is made as follows :-

Classification of districts/ areas of Jharkhand State.

Sl.No.	Category	Covered Areas
1	*2*	*3*
1	A	Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas.
2	B	All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category)
3	C	Other areas of the state.

The Minimum Wage for "A" Category area *(Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas)* **from dated 01.04.2026 is as follows:-**

Daily Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.04.2026	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**Unskilled**	468	47	**515**
2	**Semi Skilled**	491	49	**540**
3	**Skilled**	647	65	**712**
4	**Highly Skilled**	746	75	**821**

Monthly Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.04.2026	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Unskilled	12,168	1217	13385
2	Semi Skilled	12,766	1277	14043
3	Skilled	16,822	1682	18504
4	Highly Skilled	19,396	1940	21336

The Minimum Wage for "B" Category area *(All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category)* **from dated 01.04.2026 is as follows :-**

Daily Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.04.2026	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Unskilled	446	45	491
2	Semi Skilled	468	47	515
3	Skilled	617	62	679
4	Highly Skilled	712	71	783

Monthly Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.04.2026	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Unskilled	11,596	1160	12756
2	Semi Skilled	12,168	1217	13385
3	Skilled	16,042	1604	17646
4	Highly Skilled	18,512	1851	20363

The Minimum Wage for "C" Category area *(Areas other than municipal areas of the State)* **from dated 01.04.2026 is as follows**

Daily Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.04.2026	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Unskilled	425	42	467
2	Semi Skilled	446	45	491
3	Skilled	588	59	647
4	Highly Skilled	678	68	746

Monthly Rates

S.No.	Category	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.04.2026	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Unskilled	11,050	1105	12155
2	Semi Skilled	11,596	1160	12756
3	Skilled	15,288	1529	16817
4	Highly Skilled	17,628	1763	19391

2. **This notification will be effective from 01.04.2026.**

NOTE:-

(a) The Basic rates of Minimum wages are based on the All India Consumer Price Index Number 386, which is Price Index of June, 2023

(b) The average index from July, 2025 to December, 2025 is 425, on which dearness allowance is payable.

(c) In the light of the consent of Jharkhand Minimum wage Advisory Board, the rate of variable dearness allowance has been rounded off.

(d) The rates of Minimum Wages shall be within the meaning of sub-section (1) of section-6 of the Code on Wages, 2019.

(e) Conversion of the monthly rates of wages into daily rates of wages and vice versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and multiplying the daily rates by 26.

(f) The rates of Minimum Wages above include the remuneration payable to the employees in respect of the day of rest in every period of seven days.

(g) An employee shall, for the work done on the weekly day of rest, be entitled to overtime payment of the rate prescribed in rule-25 of the Jharkhand Minimum Wages Rules-1951.

(h) Men and Women workers shall get the same rates of wages for the work of a similar nature .

(i) The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and shall remain in force till the corresponding order is issued in pursuance of sub-section (2) of section 7 of the said Code.

No-2/MW-2071/2010(Part-3), L & T-742**.........Ranchi, Dated** 25/05/26

By order of the Governor of Jharkhand,

25/05/2026

Under Secretary,
Labour Commissioner Office, Jharkhand.

ज्ञापांक–2 / एम०डब्लू०–2071 / 2010 (भाग–3)श्र०नि०.742 राँची, दिनांक: 25/05/26

<u>प्रतिलिपि</u>:– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

25/05/2026
अवर सचिव,
श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक–2 / एम०डब्लू०–2071 / 2010(भाग–3) श्र०नि०742 राँची, दिनांक: 25/05/26

<u>प्रतिलिपिः–</u> माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन ,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 25/05/2026

अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक–2 / एम०डब्लू०–2071 / 2010(भाग–3) श्र०नि०742 राँची, दिनांक: 25/05/26

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली / मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्तिभवन, नईदिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद / निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला /चण्डीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड / सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद (केन्द्रीय) श्रम शक्तिभवन, नई दिल्ली / न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्य गण / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,रांची / निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची / सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह० 25/05/2026

अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।